पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में कुल 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक–13.11.2023

दिनांक 12/13.11.2023 को रात्रि थाना बीबीडी 01 अभियुक्त गिरफ्तार। इस प्रकार वांछित में कुल 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

भा0द0वि0

थाना तालकटोरा–दिनांक 13.11.2023 को थाना तालकटोरा द्वारा बताया गया कि वादी श्री आलोक परिहार, (परिवहन लिपिक, सीएमएस) पुत्र रंजीत सिंह परिहार निवासी–165/13, कुटी जलालपुर, राजाजीपुरम, पारा, लखनऊ ने थाना तालकटोरा पर सूचना दिया कि वादी की संस्था में संगम वर्मा पुत्र श्री रामविलास, निवासी–ई ब्लाक, टावर–155, आवास विकास कालोनी, हंस खेड़ा पारा लखनऊ ड्राइवर है। संगम वर्मा उक्त संस्था के डाले टाटा मैजिक एसीई यूपी 32 ईएन 7075 को चालक है। दिनांक 11.11.2023 को समय करीब 06.30 बजे सांय को विद्यालय की राजाजीपुरम प्रथम शाखा के गेट नं0 01 के सामने उपरोक्त ड्राइवर गाड़ी को खड़ा करके चाभी सीएमएस के गेट नं0 02 के गार्ड राजेन्द्र प्रसाद यादव पुत्र श्री राजवंत यादव निवासी–प्लाट नं0 29, शेखपुर हबीबपुर, लखनऊ के पास जमा कर घर चला गया था। इसके उपरान्त सायं करीब 07.30 बजे सांयकाल को गार्ड रजत यादव पुत्र श्री मानसिंह यादव ने फोन करके डाले के ड्राइवर को फोन करके बताया कि उसके डाले की हेड लाइट जल रही है। तो इस पर ड्राइवर संगम ने बताया कि वह सारी लाइटें बन्द करके आया था। इसलिए चाभी गार्ड राजेन्द्र प्रसाद यादव से लेकर डाले की हेडलाइट बन्द कर दो। रात्रि को समय करीब 10.00 बजे पुनः गार्ड रजत यादव का फोन आया कि उक्त डाला यहां पर नहीं है। चोरी हो गया है। जिसकी सूचना ड्राइवर ने वादी को दिया। इस सूचना पर वादी तुरन्त सीएमएस राजाजीपुरम प्रथम शाखा पर अपनी प्रभारी अधिकारी ट्रांसपोर्ट श्रीमती रूचि गुप्ता के साथ मौके पर पहुंचा। दिनांक 12.11.2023 को वादी ने अपने स्टॉफ के लोगों के साथ डाले की काफी खोजबीन की परन्तु कहीं पर नही मिला। **इस सूचना पर थाना तालकटोरा पर मु0अ0सं0 240/2023 धारा 379 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

थाना ठाकुरगंज–दिनांक 13.11.2023 को थाना ठाकुरगंज द्वारा बताया गया कि वादिनी श्रीमती मुन्नी सिंह पत्नी श्री सुरेन्द्र सिंह निवासी–418/123 गढ़ी पीर खां थाना ठाकुरगंज लखनऊ ने थाना ठाकुरगंज पर सूचना दिया कि दिनांक 11.11.2023 को समय करीब 04.50 बजे सांय को वादिनी अपने घर से मार्केट में त्योहार होने के चलते घर का सामान खरीदने आयी थी कि तभी ठाकुरगंज चौराहे निकट हनुमान मंदिर से कल्याण गिरी मन्दिर के मध्य दो अज्ञात लड़के जिनका नाम वादिनी को नहीं पता है, ने वादिनी का पीछा किया व रूमाल से समय करीब सांय 05.15 से 05.45 बजे के मध्य उक्त 02 लड़कों ने वादिनी को पता नहीं क्या सूंघा दिया जिससे वादिनी की मानसिक स्थिति बिगड़ गयी और इसी का फायदा उठाकर उक्त दो लड़कों ने वादिनी के कीमती जेवरात जो वादिनी ने पहन रखे थे, निकाल कर चले गये। थोड़ी देर बाद जब वादिनी को होश आया तो उसे अपने पहने जेवरात गायब मिले एवं पर्स में कागज के बंडल मिले एंव रूमाल मिला है। **इस सूचना पर थाना ठाकुरगंज पर मु0अ0सं0 782/2023 धारा 420/379 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**